

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: SEPTEMBER 01, 2020

No. 1754 /Admin. (Services)/2020

Pursuant to U.P. Government Notification/Appointment No. 444/II-4-2020 dated 20.07.2020, Sri Ajeet Kumar Mishra, candidate of Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge (Junior Division), Sant Kabir Nagar.

BY ORDER OF THE COURT

sd/-

(AJAI KUMAR SRIVASTAVA-I)

REGISTRAR GENERAL

No. 321/Admin. (Services)/2020: Allahabad: Dated: September 01, 2020

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Senior Registrar, High Court, Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).
6. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad.
7. All the District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar alongwith photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. 444/II-4-2020 dated 20.07.2020 (Information available on E-mail).

The District & Sessions Judge is directed that to permit the newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post.

The certificate of taking over charge by the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The District & Sessions Judge is directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidate of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 421/Admin(Services)/2019 dated 28.08.2019

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance to the circular letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

8. All newly selected candidate Civil Judge, Junior Division

1.	Sri Ajeet Kumar Mishra S/o Sri Rajendra Prakash Mishra, R/o H.No. 161, Post Office – Jamal Mirzapur Kasba Khas Ghosi, District- Mau, U.P. - 275105
----	--

You shall proceed to take over charge of your place of posting immediately. Court's Notifications have been sent to you by speed/registered post and it is also available on official website of Hon'ble Court i.e. www.allahabadhighcourt.in.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that your appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until you are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. You shall be subjected to general condition of services applicable to temporary Government servant Rules and contained in Government Notification No. 20/I/74-Niyukti-3, dated June 11, 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 444/II-4-2020 dated 20.07.2020.

9. The Registrar (Judicial) (Budget), High Court, Allahabad.
10. The Registrar (Judicial) (Confidential), High Court, Allahabad.
11. The Registrar (Judicial) (Litigation), High Court, Allahabad.
12. The Registrar (Judicial) (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
13. The Assistant Registrar (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad.
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad
15. The Accountant General, U.P., Allahabad.
16. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
17. P.S. to Hon'ble the Administrative Judge, Sant Kabir Nagar with the request to place this notification before His Lordship's for kind perusal (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

**Sd/-
(ATUL SRIVASTAVA)
REGISTRAR (JUDICIAL) (SERVICES)**

स्पीड-पोस्ट/पंजीकृत

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-444/दो-4-2020
लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई, 2020

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा आयोजित उ०प्र० न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2018 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को वेतनमान रूपये-27700-770-35090-920-40450-1080-44770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	लोक सेवा आयोग की सूची का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान पता
1	013651	250	श्री अजीत कुमार मिश्र पुत्र श्री राजेन्द्र प्रकाश मिश्र	श्री राजेन्द्र प्रकाश मिश्र, ग्राम 161 कस्बा खास, पोस्ट-जमाल मिर्जापुर, थाना घोसी, जनपद-मऊ, उ०प्र०-275105

2- प्रश्नगत नियुक्ति दिव्यांगजन हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 9096/2013 भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व अन्य में पारित आदेश दिनांक-08 अक्टूबर, 2013 तथा परिवाद संख्या-600/2018/16 श्रीमती प्रियंका मिश्रा बनाम अजीत कुमार मिश्र व अन्य एवं रिट याचिका-630/2020, अखिलेश कुमार मिश्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा० न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होंगी।

3- उक्त अभ्यर्थी की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 444 (1)/दो-4-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- (1) महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये मूल आवेदन प्रपत्र (संलग्नों सहित) एवं चिकित्सा परिषद की मेडिकल रिपोर्ट्स मूलरूप में संलग्न कर इस मन्तव्य के साथ प्रेषित कि उक्त अभ्यर्थी यदि मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना किसी समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है, तो उस स्थिति से शासन को

अविलम्ब अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी की तैनाती के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति तथा अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समय आदि की सूचना भी शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- (3) अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- (4) सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-63/1/ई-3 /2018-19, दिनांक 14-08-2019 के सन्दर्भ में।
- (5) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को उ0प्र0 गजट को आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- (6) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- (7) निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ।
- (8) सम्बन्धित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अभ्यर्थी अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जाने वाले तैनाती आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को तत्काल प्रेषित करें। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, गोमतीनगर, लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

उक्त अभ्यर्थी जब तक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक वह अस्थायी कर्मचारियों पर लागू अधिसूचना संख्या-20/1/74, नियुक्ति-3, दिनांक 11-6-1975 में दी गयी शर्तों के अधीन रहेगा। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता, अनुमन्य नहीं होगा।

- (9) अनुभागीय गार्ड फाईल।

आज्ञा से

 (निर्मल कुमार शुक्ल)
 अनु सचिव।